जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ दिनांक – 17.03.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर 03 घटनाओं से संबंधित माल को किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15/16.01.2025 व दिनांक 17/18.01.2025 को ग्राम मानियावाला, ग्राम मनोहरवाली व ग्राम हरपुर में अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा घर में घुसकर तमंचो से डरा धमकाकर लूट की घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 21/25 धारा 309(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 25/25 धारा 309(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 26/25 धारा धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अफजलगढ पुलिस टीम व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- खुर्शीद पुत्र फिदा हुसैन निवासी हरथला थाना असमौली जनपद सम्भल 2- इश्तखार पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम हरथला थाना असमौली जनपद सम्भल 3- शादाब पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम हरथला थाना असमौली जनपद सम्भल को पूर्व में ही पुलिस मुठभेड में अवैध शस्त्रो व उपरोक्त अभियोगो से संबंधित पीली व सफेद धातु के आभुषणों सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये व वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र इदरीश निवासी ग्राम पतिया नंगला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को दिनांक 06.02.2025 को थाना आईटीआई जनपद उधमसिंह नगर द्वारा पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

कार्यवाही का विवरण -

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से अनुरोध कर अभियुक्त फुरकान पुत्र इदरीश निवासी ग्राम पतिया नंगला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को दिनांक 17.03.2025 से 24 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त फुरकान उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ कर, अभियुक्त की निशादेही पर ग्राम जटपुरा बैरियर से महेन्द्रनगर की तरफ जाने वाले रजवाहे की पटरी पर पीपल के पेड के पास खडे झाड झंकाड में काले रंग की पन्नी से उपरोक्त अभियोगो से संबंधित पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद किये गये, जो अभियुक्त फुरकान उपरोक्त ने अपने साथियों के साथ छुपाई गयी जगह से अलग भी कुछ आभूषण छिपाये थे।

अभियुक्त फुरकान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि गले की चैन व 02 लौंग नाक की ग्राम मनोहरवाली की घटना से संबंधित है तथा एक जोडी पायल व एक कमरबन्द, ग्राम हरपुर की घटना से संबंधित है व ब्रेशलेट व बच्चे की पायल ग्राम मानियावाला की घटना से संबंधित है।

थाने पर पंजीकृत अभियोगो से संबंधित वादीगणो को मौके पर बुलवाया गया तथा तीनो मुकदमा उपरोक्त के वादीगणो ने अपने अपने आभूषण को पहचानकर तस्दीक किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता-

फुरकान पुत्र इदरीश निवासी ग्राम पतिया नंगला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1.मु0अ0सं0 21/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

ग्राम मानियावाला - एक ब्रेशलेट सफेद धातु व एक जोडी बच्चे की पायल सफेद धातु।

2.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

ग्राम मनोहरवाली - एक गले की चैन पीली धातु व 02 लौंग नाक की पीली धातु।

3.मु0अ0सं0 26/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

ग्राम हरपुर - एक जोडी पायल सफेद धातु एक कमरबन्द सफेद धातु।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फुरकान उपरोक्त

1-मु0अ0सं0 314/2014 धारा 395 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।
2-मु0अ0सं0 378/2014 धारा 395,412 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
3-मु0अ0सं0 03/2015 धारा 380,411 भादवि थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
4-मु0अ0सं0 18/2015 धारा 395,412 भादवि थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
5-मु0अ0सं0 20/2015 धारा 395,397,412 भादवि थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
6-मु0अ0सं0 25/2015 धारा 147,148,149,307 थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
7-मु0अ0सं0 26/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
8-मु0अ0सं0 74/2015 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
9-मु0अ0सं0 243/2016 धारा 380 भादवि थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
10-मु0अ0सं0 395/2016 धारा 395,412 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।
11-मु0अ0सं0 454/2016 धारा 399,402 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
12-मु0अ0सं0 455/2016 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
13-मु0अ0सं0 456/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
14-मु0अ0सं0 421/2018 धारा 380,411,457 भादवि थाना स्वार जनपद रामपुर।
15-मु0अ0सं0 571/2018 धारा 395,412 भादवि थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।
16-मु0अ0सं0 786/2018 धारा 395,412 भादवि थाना टांडा जनपद रामपुर।
17-मु0अ0सं0 819/2018 धारा 307,504 भादवि थाना टांडा जनपद रामपुर।
18-मु0अ0सं0 821/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना टांडा जनपद रामपुर।
19-मु0अ0सं0 138/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना टांडा जनपद रामपुर।
20-मु0अ0सं0 281/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।
21-मु0अ0सं0 217/2021 धारा 307,34,382,411,457 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
22-मु0अ0सं0 328/2024 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।
23-मु0अ0सं0 21/2025 धारा 309(4) /317(2) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
24-मु0अ0सं0 25/2025 धारा 309(4) /317(2) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
25-मु0अ0सं0 26/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
26- मु0अ0सं0 43/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम का विवरण:-

1- थाना प्रभारी श्री सुमित राठी, थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3- मुख्य आरक्षी पीयूष खोखर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4- आरक्षी राजीव थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
5- आरक्षी अभिषेक कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक 17.03.2025**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 34/2025 धारा 69/352/351(2) बीएऩएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.02.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त ओमकार पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम सेनावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 69/352/351(2) बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ओमकार पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम सेनावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

ओमकार पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम सेनावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.निरीक्षक अपराध श्री उदयवीर सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.का0 1734 बिट्टू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंडावर **दिनांक 17.03.2025**

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2) / 191(3)/190/115(2)/352/ 351(2)/109/333 बीएनएस में वांछित चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.03.2025 को वादी राहुल पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमित कुमार उर्फ पेला पुत्र बृह्मपाल सिंह 2. जोनी पुत्र बृह्मपाल सिंह 3.काले उर्फ मिथुन पुत्र बृह्मपाल सिंह 4.रोहित पुत्र बृह्मपाल सिंह व 5. बृह्मपाल पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट की व जान से मारने की नीयत से वादी के पेट पर चाकू से वार कर तमंचे से फायर करने का प्रयास किया तथा वादी की माता के हाथ में चाकू मारकर घायल कर देना तथा वादी के परिजनों के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2) / 191(3)/190/115(2)/352/ 351(2)/109/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अमित कुमार उर्फ पेला पुत्र बृह्मपाल सिंह नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2.जोनी पुत्र बृह्मपाल सिंह नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर 3.रोहित पुत्र बृह्मपाल सिंह नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर व 4.बृह्मपाल पुत्र कल्लू नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अमित कुमार उर्फ पेला पुत्र बृह्मपाल सिंह नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
2.जोनी पुत्र बृह्मपाल सिंह नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
3.रोहित पुत्र बृह्मपाल सिंह नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
4.बृह्मपाल पुत्र कल्लू नि0 ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अमित उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 209/24 धारा 352/351(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/333 बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास जोनी उपरोक्तः

1.मु0अ0सं0 209/24 धारा 352/351(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/333 बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0स0 32/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 16/23 धारा 13 जी एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास ब्रहमपाल उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 209/24 धारा 352/351(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/333 बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 401 दीपक थाना मंडावर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 511 अश्वनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

4.का0 2132 साकेत भाटी थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

5.का0 1016 अमित कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 17.03.2025**

स्वाट / सर्विलांस टीम व थाना नजीबाबाद पुलिस ने छिनैती की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को छीने गये पीली धातु के कुण्डल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.03.2025 को वादी श्री अतुल चौहान पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह निवासी सावित्री एन्कलेव आदर्शनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि उसकी माता जी दोपहर के समय होली का सामान लेकर घर वापस आ रही थी तो सावित्री एन्कलेव मे रामपाल सिंह के मकान के सामने एक अज्ञात व्यक्ति उसकी माता के कानो के दोनो कुण्डल झप्पटा मारकर छीन लिये तथा मौके से भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 17.03.2025 को स्वाट / सर्विलांस टीम व थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना मे शामिल अभियुक्त अंकित गिरि पुत्र मलखान गिरि निवासी हरिपुरम कूकडा थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी ग्रीन वैली कॉलोनी आदर्शनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से छीने गये एक जोडी कानो के कुण्डल (पीली धातु) बरामद हुए। माल बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अंकित गिरि पुत्र मलखान गिरि निवासी हरिपुरम कुकडा थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी ग्रीन वैली कॉलोनी आदर्शनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

एक जोडी कान के कुण्डल पीली धातु

घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. श्री जयभगवान सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. निरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट जनपद बिजनौर मय टीम
3. उ0नि0 श्री विकास कुमार, प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर मय टीम
4. उ0नि0 श्री परवीन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. हे0कां0 455 विनय पंवार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. कां0 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. कां0 2576 अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां **दिनांक – 17.03.2025**

स्वाट टीम व थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 41/25 धारा 191(2) / 61(2) / 140(1) / 103(1) / 3(5) बीएनएस से सम्बंधित 09 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त गाडी, आलाकत्ल (बेल्ट / लोहे का पाना) व 06 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 14.03.2025 को श्रीमती पारुल पत्नी मकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना शिवालाकलां, जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकलां पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 13.03.2025 की शाम को उसके पति मकेन्द्र घर से दवाई लेने के लिये धारुपुर गये थे व वापस नही आये। मकेन्द्र के स्कूटी गांव के ही बाहर खडी मिली। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शिवालाकलां पर गुमशुदगी दर्ज करायी। दिनांक 15.03.2025 को गुमशुदा मकेन्द्र का शव जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के ग्राम बावनखेडी के जंगल में मिला, जिसके गले एवं सिर पर चोट के निशान थे।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक मकेन्द्र की पत्नी पारुल का प्रेम प्रसंग विनित पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम अख्तयारपुर चौबे थाना हयातनगर जनपद सम्भल से था। पारूल के प्रेम प्रसंग की जानकारी मकेन्द्र को हो गयी थी। विनित उपरोक्त जागरण पार्टी में काम करता है तथा दोनो में करीब 07-08 माह पूर्व दोस्ती हुई थी। मृतक मकेन्द्र राजस्थान में नौकरी करता था तथा दिनांक 13.03.2025 को घर आ रहा था। लोकलाज के डर एवं विनीत व पारुल का प्रेम-प्रसंग निर्बाध रुप से चलता रहे, इसलिये पारुल ने अपने प्रेमी विनीत के साथ मिलकर मकेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनायी। मृतक की पत्नी पारुल व उसके प्रेमी विनीत की योजना थी कि राजस्थान से वापस आते समय रास्ते में ही मकेन्द्र का अपहरण कर हत्या कर दी जाये, किन्तु उक्त योजना में अभियुक्तगण सफल नही हो सके।

दिनांक 13.03.2025 को ही मकेन्द्र की पत्नी पारुल ने अपनी दवाई लेने के बहाने मकेन्द्र को पुनः धारुपुर के लिये भेजा, जिसके बाद विनीत ने अपने 07 अन्य साथियों 1.अभिषेक पुत्र अखिलेश शर्मा 2.कृष्णपाल पुत्र वीर सिंह 3.भुवनेश पुत्र रामरतन निवासीगण ग्राम खरपडी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा 4.हितेष पुत्र मुकेश निवासी दडियाल थाना आदमपुर जनपद अमरोहा 5.मनी शर्मा पुत्र श्रीपाल 6.उमेश पुत्र अवतारी 7.राजवीर पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम अख्तयारपुर चौबे थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर के साथ मिलकर इको कार सं0 UP23AD8976 से मकेन्द्र का रास्ते से ही अपहरण कर ले गये तथा जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के जंगल में बेल्ट से गला घोंटकर व सिर में लोहे का पाना मारकर उसकी हत्या कर दी।

घटना के सम्बंध में मृतक के भाई खिलेन्द्र की तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर पूर्व से दर्ज गुमशुदगी को मु0अ0सं0 41/25 धारा 191(2) / 61(2) / 140(1) / 103(1) / 3(5) बीएनएस में तरमीम किया गया है। घटना में संलिप्त सभी 09 अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त ईको गाडी, आलाकत्ल बेल्ट व लोहे का पाना, अभियुक्तों के 06 मोबाइल फोन बरामद है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि घटना की मास्टरमांइड पारुल व विनीत के मध्य करीब 07-08 माह से अवैध सम्बन्ध थे, जिसकी जानकारी पारुल के पति मकेन्द्र को हो गयी थी। इसी कारण पारूल व उसके पति मकेंद्र के बीच लडाई झगडा होने लगा तथा पारूल व विनीत के आपत्तिजनक फोटो भी मकेंद्र ने अपनी पत्नी पारूल के फोन मे देख लिये थे। पारूल को यह शंका थी कि इस बार मकेंद्र घर पर आयेगा तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिये पारूल ने लोकलाज के डर से अपने प्रेमी विनीत के साथ मिलकर षडयंत्र कर मकेन्द्र को रास्ते से हटाने के लिये सुनियोजित तरीके से अपने प्रेमी विनीत को उसके साथियो के साथ ईको गाडी से गाँव बुलाकर ग्राम शहबाजपुर के पास से मकेन्द्र का अपहरण कराया तथा सभी लोगो ने जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र में ग्राम बावनखेडी के जंगल मे ले जाकर मकेन्द्र की हत्या कर शव को फेंक दिया था। विनीत द्वारा मकेंद्र के गले मे अपनी बेल्ट से फंदा लगाकर गला घोटा गया तथा अभियुक्त मनी उपरोक्त ने गाडी मे रखे लोहे के पाने से मृतक मकेन्द्र के सिर पर कई वार किये एवं अन्य सभी अभियुक्तों द्वारा भी मकेंद्र के साथ मारपीट किया जाना स्वीकार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.विनीत पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम अख्तयारपुर चौबे थाना हयातनगर जनपद सम्भल
2.मनी पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम अख्तयारपुर चौबे थाना हयातनगर जनपद सम्भल
3.उमेश पुत्र अवतारी निवासी ग्राम अख्तयारपुर चौबे थाना हयातनगर जनपद सम्भल
4.राजवीर पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अख्तयारपुर चौबे थाना हयातनगर जनपद सम्भल
5.अभिषेक शर्मा पुत्र अखलेश शर्मा निवासी ग्राम खरपडी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
6.किशनपाल पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम खरपडी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
7.भुवनेश पुत्र रामरतन निवासी ग्राम खरपडी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
8.हितेश पुत्र मुकेश निवासी दढियाल थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
9.पारुल पत्नी मकेन्द्र निवासी ग्राम शाहबाजपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर
2. थानाध्यक्ष श्री विरेन्द्र कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री अजित सिह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
5. उ0नि0 श्री रवि टैगोर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
6. उ0नि0 श्री विपिन सैनी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
7. हे0का0 345 राजकुमार थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
8. हे0का0 425 सचिन तोमर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
9. हे0का0 479 विनोद थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
10. कां0 123 दीपक जावला, सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
11. का0 1033 सचिन थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
12. का0 2385 अंकुर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
13. का0 2060 सोनू थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
14. का0 1979 सन्दीप थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर